जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 03.09.19**

दिनांक 31.08.19 को इंदिरापुरम क्षेत्र से 05 माह के बच्चे के अपहरण की घटना का खुलासा, बच्चा सकुशल बरामद, प्रेमी सहित मुकदमा वादिया व घटना में शामिल 02 अन्य महिलाएं गिरफ्तारः– ''बच्चा चोरी की बढ़ती फर्जी अफवाहों'' को दृष्टिगत कराये जा रहे व्यापक प्रचार प्रसार के परिपेक्ष्य में नाबालिक बच्चों के अपहरण की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल थाना इंदिरापुरम पर अ0स0–1916/19 धारा 363 भादवि पंजीकृत कर एसओजी के साथ एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा घटना में तत्परता से कडी मेहनत व लगन से कार्यवाही करते हुए घटनास्थल व घटनास्थल के आसपास एवं वादिनी के खोडा स्थित आवास तक दिन–रात कडी मेहनत कर हजारों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गयी। तथा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर कडी मेहनत के पश्चात घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर वादिनी से सख्ती से पूछताछ के दौरान वादिनी व वादिनी के प्रेमी सहित अन्य 02 महिलाओं को गिरफ्तार कर दिनांक 03.09.19 को दिल्ली बार्डर से अपहृत बच्चे को सकुषल बरामद किया गया।

बरामद/अपहृतबच्चे का नाम पताः–

1:–आहान पुत्र श्री शाहरुख निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद।**(उम्र–05माह)**

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के नाम व पतेः–

1:–ज़ेनब पत्नी श्री शाहरुख निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी गा0बाद।**(वादिनी मुकदमा उपरोक्त)**

2:–सलमान पुत्र जाहिद नि0 कैंची वाली गली लोकप्रिय विहार खोडा गा0बाद।**(वादिनी का मित्र)**

3:–कोमल पत्नी राहुल नि0–34/364 हिम्मतपुरी थाना मयूर विहार ईस्ट दिल्ली।**(वादिनी की मित्र)**

4:–सुनीता पत्नी मदनलाल नि0 34/364 हिम्मतपुरी थाना मयूर विहार ईस्ट दिल्ली।**(कोमल की सास)**

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 31.08.19 को वादिनी ज़ेनब पत्नी श्री शाहरुख निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी गा0बाद ने थाना इंदिरापुरम पर शनि बाजार इंदिरापुरम से अपने बच्चा चोरी/अपहरणकी सूचना दी गयी थी। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर घटना को गम्भीरता से लेते हुए गहनता से परिषीलन किया गया तो दौराने जांच घटना संदिग्ध लगने

लगी तो इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से दिल्ली बार्डर से 02 महिलाएं कोमल व सुनीता को गिरफ्तार कर बच्चा बरामद कर घटनाक्रम के सम्बंध में पूछताछ की गयी तो कोमल ने बताया कि यह बच्चा जैनब का है तथाजैनब कोमल की मित्र है जोकि कोमल व कोमल की सास सुनीताके पास जैनब द्वारा ही दिनांक 31.08.19 की शाम को02–03 दिन के लिए अपने बच्चे को यह कहकर छोडा था कि मेरा पति दूसरी शादी करने वाला है उसको रोकना जरुरी है और किसी को इस बच्चे के बारे में कुछ न बताने के लिए कहा गया था। तत्पष्चात वादिनी ने अपने षडयंत्र की पोल को खुलता हुआ देखकर बताया कि वह अपने पति से संतुष्ट नही थी तथा पति को छोडकर यहां से अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान था। इसी प्लानिंग के तहत दिनांक 31.08.19 की शाम को कोमल ने अपने 05 माह के बच्चे को अपनी दोस्त कोमल के पास छोडकर शनि बाजारइंदिरापुरम क्षेत्र में आकर बच्चा चोरी/अपहरण की झूठी कहानी रचकरअपने पति व पति के परिजनों को गुमराह कर झूठी सूचना दी गयी तथा दिन–रात अपने पति के साथ पुलिस पर बच्चा बरामद करनेका दबाब बनाने लगे तथा मौका देखकर जेनब अपने मित्र के साथ भागने की फिराक में थी। गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर सफल अनावरण कर अपहृत नाबालिक बच्चा बरामद किया गया हैं।

नोटः– उपरोक्त सनसनीखेज घटना की अल्पसमय में अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रषस्ति पत्र व 2500 रूपये का नगद पुरुस्कार देने की घोषणा की गयी हैं। पुलिस द्वारा किये गये उक्त कार्य ही स्थानीय जनता द्वारा काफी सराहना की गयी हैं।

दिल्ली–NCR- गाजियाबाद में वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 02 मोटर साईकिल व 01 चाकू बरामदः– थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 03.09.2019 को वाहन चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तगण को सिकन्दरपुर कट के पास समय करीब 06. 30 बजे गिरफ्तार सफलता प्राप्त की हैं। जिनके कब्जे से 02 मोटर साईकिल व 01 चाकू बरामद हुआ हैं।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरणः–

1. रवि पुत्र वंशीलाल नि0 बी0के डेरी वाली गली तुलसी निकेतन सा0बाद गा0बाद।
2. अंशुल पुत्र विष्णुदत्त नि0 गली नं0 3 बी ब्लाक म0न0 5 गगन विहार सा0बाद गा0बाद।
3. श्रीराम पुत्र वासुदेव गिरि नि0 राहुल के मकान में किरायेदार गली नं0 18 म0नं0 122 हर्ष विहार दिल्ली।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरणः–

1. 01 मोटर साईकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 029738/19 धारा 394/411 भादवि थाना नन्दनगरी दिल्ली।
2. 01 मोटर साईकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 029738/19 धारा 379/411 भादवि थाना सीमापुरी दिल्ली।

अभियुक्तों का अपराध करने का तरीकाः–

अभियुक्तगण ने गहन पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग सुनसान गलियों में खडी मोटर साईकिल आदि चोरी कर उन्हे अन्जान लोगों को बेच देते हैं।

थाना मसूरी गाजियाबाद 10 हजार का शातिर ईनामी अपराधी गिरफ्तार कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व मोवाईल तथा तमंचा बरामद :- दिनाक 2/9/19 समय 19.35 बजे थाना मसूरी व एल्फा टीम की संयुक्त टीम को उस समय सफलता प्राप्त हुई जब चैकिग के दौरान डासना जेल नहर बम्बा पर नाहल गांव की तरफ से आती मोटर साईकिल को चैकिग हेतु टार्च की रोशनी डालते हुए रुकने का इशारा किया तो मोटर साईकिल चला रहे व्यक्ति द्वारा अपनी मोटर साईकिल को घुमाकर नहर पुल से मसूरी कस्वा स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा तब पीछा करते समय मो0सा0सवार मय मोटर साइकिल के रास्ते में पडने वाले कीचड में हडबडाकर गिरगया तथा एक दम उठकर उस व्यक्ति द्वारा थाना मसूरी व एल्फा टीम की सयुक्त टीम पर अपने पास लिये तमंचे से जाने से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची अपने को पुलिस से घिरता देख पुन गोली चलाने हेतु तमंचा भरकर पुन गोली चलाने का प्रयास किया आत्मरक्षार्थ गिरफ्तार अभियुक्त शिराज उर्फ शज्जू पुलिस टीम द्वारा की गयी फायरिगं में घायल हो गया अभियक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल DL 11 SQ 5276 व तमंचा मय कारतूस व खोखा कारतूस बरामद हुआ अभियुक्त के विरुद्द 3/25/27 आयुध अधिनियम व 307/411/414 भादवि के अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जारही है

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता –

1-शिराज उर्फ शज्जू पुत्र नजरु खान निवासी ग्राम बहरामपुर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामदगी

(1) एक तमंचा 315 बोर मय तीन जिन्दा अदद कार0व एक खोका कार0315 बोर

(2) चोरी की मोटर साइकिल DL 11 SQ 5276T.V.S अपाचे

आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0608/19 धारा 307/411/414 भादवि

2-मु0अ0स0609/19 धारा 3/25/27 A ACT

3-मु0अ0स01145/19 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

4-मु0अ0स046220/18 धारा 379 भादवि थाना विवेक विहार दिल्ली

5-मु0अ0स01306/18 धारा 25 A ACT थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर

6-मु0अ0स01153/18 धारा 354/354डी/307/323/504/507/506 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

7-मु0अ0स040/19 धारा 379/411 भादवि थाना खोडा गाजियाबाद

8-मु0अ0स02430/18 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम गा0बाद

9-मु0अ0स01270/19 धारा 379/411/34 भादवि थाना तिमारपुर नोर्थ दिल्ली

10-मु0अ0स01307/18 धारा 411/414 भादवि थाना फेस 3 गोतमबुद्धनगर

बच्चो के झगडे को लेकर गांव अमीपुर बडायला मे हुई संदीप की हत्या केदोवाछित अभियुक्त गिरफ्तार:- श्री विनोद कुमार पुत्र श्री ब्रहम सिंह नि0 ग्राम अमीपुर बडायला थाना मसूरी गाजियाबाद ने अपने सगे भाई संदीप की उसके पडौस के ही दीपक, जिल्ले व रामभूल द्वारा सीने में छुरा घोंपकर हत्या किये जाने के संबंध में दिनांक 01/09/2019 को मु0अ0स0606/19 धारा 302 भादवि कालिखाया था। उक्त हत्याकांड के

नामित अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु थाना मसूरी पुलिस टीम को उस समय बडी सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 03/09/2019 को समय करीब प्रातः10.10 बजे उक्त हत्याकांड के वाछितं अभियुक्त **(1)**रामभूल पुत्र श्री जगपाल (2)जिले सिह जिल्ले उर्फ पुत्र जगपाल निवासीगण ग्राम अमीरपुर बडायला थाना मसूरी गा0बाद को मुखबिर की सूचना पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कही जाने की फिराक में नाहल झाल चौराहे पर खोखे के पास खडे थे। दौराने गिरफ्तारी पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 31/8/19 को शाम के समय करीब 6.00 बजे दीपक व संदीप के बच्चो के बीच झगडा हो गया था। जिस पर दीपक ने संदीप के बच्चो को काफी बुरा भला कह दिया था जब संदीप शाम को समय करीब 07.30 बजे घर वापस आया तो वह अपने घर के बाहर खडे होकर झगडे को लेकर गाली गलौच करने लगा जिस पर दीपक ने भी गाली गलौच शुरू कर दिया था। जिस कारण झगडे की नौबत आ गयी। तभी हम भी वहाँ पहुच गये थे। और हम दोनो ने संदीप को पकड लिया था। दीपक भागकर अपने घर से छुरा लेकर आया और संदीप की छाती में सीधे वार कर छुरा घोप दिया था। जिससे संदीप घायल होकर जमीन पर गिर गया था। जिसको हास्पीटल पहुचने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया था अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जारहा है उक्त हत्या काण्ड के मुख्य आरोपी दीपक पुत्र रामभूल निवासी ग्राम अमीरपुर बडायला थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को दिनाक 2/9/19 को मय घटना में प्रयुक्त छुरा सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास –

1- रामभूल पुत्र श्री जगपाल निवासी ग्राम अमीरपुर बडायला थाना मसूरी गा0बाद
2- जिल्ले पुत्र जगपाल निवासी ग्राम अमीरपुर बडायला थाना मसूरी गा0बाद

सात वर्ष पूर्व थाना मसूरी पर बल्वा व तोडफोड करने का आरोपी गिरफ्तार ;- थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनाक 14.9.2012 को समय 13.00 बजे डासना रेलवे स्टेशन हाल्ट पर धार्मिक ग्रन्थ के पेज फाडकर धर्म विशेष विरोधी टिप्पणी अंकित किया होना मिलने पर थाना मसूरी के सामने NH 24 पर जाम लगाकर थाने पर तोडफोड कर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचाने तथा पुलिस कर्मियो को घायल किये जाने के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0स0 775/12 धारा 147/148/149/307/132/336/353/395/435/436/224/225/341/427 भादवि व 7 C.L.A.ACT व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना अपराध शाखा गाजियाबाद से चल रही है, दिनाक 3/9/19 को समय 10.00 बजे उनकी टीम को उस समय बडी सफलता प्राप्त हुई उक्त प्रकरण के लम्बे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी शकील को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जारहा है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. शकील पुत्र अब्दुल रहमान निवासी कस्वा व थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 775/12 धारा 147/148/149/307/132/336/353/395/435/436/224/225/341/427 भादवि व 7 C.L.A.ACT व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

अवैध शस्त्र सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.19 को समय 20.30 बजे लाला कुवां से अभियुक्त निशु पुत्र राजू निवासी मौ0 बिहारीपुरा गली न0 5 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 01 CMP 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है |

04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 900 रूपये, 01 पर्स, 01 मोबाइल फोन, 01 आई कार्ड व 04 चाकू बरामद:- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.19 को समय 23.57 बजे नसबंदी कॉलोनी से अभियुक्तगण 1. आदिल पुत्र अनिश निवासी अल्वी नगर सरकारी स्कूल के सामने थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. दीपक पुत्र किशन चौधरी निवासी कमल विहार थाना लोनी गाजियाबाद 3. अमन पुत्र आसिफ निवासी उपरोक्त 4. आरिफ पुत्र शकील निवासी लाल बाग थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से थाना लोनी के मुअसं0- 848 /19 धारा 379 भादवि से सम्बंधित चोरी के 900 रूपये, 01 पर्स, 01 मोबाइल फोन, 01 आई कार्ड व 04 चाकू बरामद हुए है |

सट्टे की खाई-बाड़ी करते एक अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.19 को समय 23.50 बजे चौकी अक्षेत्र लोनी तिराहा से अभियुक्त अब्दुल कादिर पुत्र हबीब खान निवासी रब्बानी मस्जिद के पास आर्य नगर प्रेम नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 30७० रुपये नकद, 01 पर्चा सट्टा, 01 पेन, 01 डायरी आदि बरामद हुए है |

वांछित लुटेरा गिरफ्तार :- थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 03.09.19 को समय 11.15 बजे मेरठ तिराहा से अभियुक्त विनेश पुत्र प्रेमपाल निवासी रमपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से थाना सिहानीगेट के मुअसं0- 1266/19 धारा 342/395/397 भादवि से सम्बंधित 02 दवाई के डिब्बे बरामद हुए है|

चोरी की स्कूटी सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनाक 03.09.19 को समय 10.35 बजे शहीद भगत सिंह गेट रामेश्वेर पार्क से अभियुक्तगण 1. नाशीर पुत्र साहिद अहमद निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. अयान मलिक पुत्र फखरुधीन निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे

से 01 स्कूटी बिना नंबर की सम्बंधित E- FIR न0- 037088/19 धारा 379 भादवि थाना कृष्णा नगर, दिल्ली बरामद हुई है

01 अभियुक्त मय एक अदद छुरी सहित गिरफ्तार- थाना भोजपुर पुलिस ने दिनांक 02.09.19 को समय 22.30 बजे पुलिस टीम गश्त/चैकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर ग्राम भदौला मोड पर ग्राम ईशापुर मोदीनगर हापुड मार्ग पक्की सडक पर एक व्यक्ति को चेकिंग हेतु रोका गया । जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम राकेश पुत्र बाबू निवासी त्यौडी 7 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद बताया। जिसकी तलाशी ली गयी तो इसके पास से एक अदद छुरी बरामद हु ई। जिसको हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना भोजपुर गा0बाद पर मु0अ0स0 328/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. राकेश पुत्र बाबू निवासी त्यौडी 7 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद छुरी

पंजीकृत अभियोग

1. मु.अ.स. 328/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।